

प्रैस विज्ञाप्ति

दिनांक 07.07.2021

एटीएम मशीन से रुपये निकालने वाले व्यक्तियों का धोखे से एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने/ठगी करने

वालें 02 शतिर अभियुक्त थाना छतारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 07.07.2021 को थाना छतारी पुलिस क्षेत्र में तलाश वांछित अपराधी, गश्त व चैकिंग में मामूर थी कि जारिए मुखबिर सूचना मिली कि एटीएम कार्ड बलदकर धोखे से व्यक्तियों को ठगने वालें 02 अभियुक्त पंजाब नैशनल बैंक के एटीएम पर खड़े थे तथा वही व्यक्ति इंडिया नम्बर-1 एटीएम पर खड़े हैं जो पैसे निकालने वाले व्यक्तियों का एटीएम बदलकर पैसे निकालने की घटना कारित कर सकते हैं। इस सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए उ0नि0 नरेन्द्र सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर समय करीब प्रातः 10.15 बजे दोनों अभियुक्तों को विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम पता-

- 1- नदीम पुत्र आसिम मुल्ला निवासी चिरचिटा थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर।
- 2- फैसिल पुत्र सलाऊद्दीन निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण-

1. 08 एटीएम कार्ड। (भिन्न-भिन्न बैंकों के)

घटना करने का तरीका- अभियुक्तगण शतिर किस्म के अपराधी हैं जो एटीएम केबिन में घुसकर रुपये निकालने वाले व्यक्ति का इंतजार करते हैं जैसे ही कोई व्यक्ति पैसा निकालने के लिए एटीएम केबिन में आता है तो अभियुक्तगण उसके पीछे खड़े होकर उसका एटीएम पासवर्ड देख लेते हैं तथा अभियुक्तगण उस व्यक्ति को पीछे से हल्का सा धक्का देकर उसका एटीएम कार्ड नीचे गिरा देते हैं और एटीएम कार्ड के नीचे गिरते ही अभियुक्तगण द्वारा धोखे से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया जाता है। इसके उपरान्त अभियुक्तगण अन्य एटीएम पर पहुंचकर उस एटीएम कार्ड से पैसे निकाल लिए जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि उनके द्वारा करीब 10-12 दिन पूर्व थाना डिबाई क्षेत्र से इसी तरह 50,000 रुपये तथा 04 माह पहले थाना डिबाई क्षेत्र से ही 30-35 हजार रुपये निकालने की घटना कारित की गई थी।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छतारी पर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह
- 2- मुख्य आरक्षी लक्ष्मण सिंह
- 3- आरक्षी प्रवीण कुमार